

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 356]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त 2020 — श्रावण 23, शक 1942

राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक - एफ 1-2/2018/रास/यू.-22. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (2) के निहित प्रावधान अंतर्गत श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, शदाणी दरबार के पास, ग्राम धनेली, पो.ऑ.-माना, धमतरी रोड, जिला रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची (पेनल) प्रस्तुत करने हेतु माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार खोजबीन-समिति का गठन किया गया है :-

1.	प्रो.(डॉ.) गौरी दत्त शर्मा, कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर	प्रायोजक निकाय (श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी) द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद	- समिति अध्यक्ष
2.	डॉ.एस. के. पाण्डेय, पूर्व कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	प्रायोजक निकाय (श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी) द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद	- समिति सदस्य
3.	डॉ. समरेन्द्र सिंह, उप सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा विभाग राज्य शासन द्वारा नामांकित एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति	- समिति सदस्य

2. माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा प्रो. (डॉ.) गौरी दत्त शर्मा को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. उपर्युक्त समिति यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की समय अवधि में न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची (पेनल) माननीय कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-

(रोक्तिमा यादव)

राज्यपाल के उप-सचिव.